



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14]

नई दिल्ली, जून 2—जून 8, 2013, शनिवार/ज्येष्ठ 12—ज्येष्ठ 18, 1935

No. 14]

NEW DELHI, JUNE 2—JUNE 8, 2013, SATURDAY/JYAISTHA 12—JYAISTHA 18, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली, 21 मई, 2013

का.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तटरक्षक संगठन समूह “ख” और समूह “ग” हिंदी अनुवाद पद [हिंदी अधिकारी, ज्येष्ठ अनुवादक(हिंदी) और कनिष्ठ अनुवादक(हिंदी)] भर्ती नियम, 2000 का अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में सहायक निदेशक(राजभाषा), ज्येष्ठ अनुवादक(हिंदी) और कनिष्ठ अनुवादक(हिंदी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक संगठन समूह “क” और “ख” हिंदी अनुवाद पद [सहायक निदेशक(राजभाषा), ज्येष्ठ अनुवादक(हिंदी) और कनिष्ठ अनुवादक(हिंदी)] भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक निदेशक (राजभाषा)	5* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन-बैंड-3, 15,600— 39,100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)			(8)	(9)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		
(10)			(11)		
80% प्रोन्नति द्वारा और 20% प्रतिनियुक्ति द्वारा			प्रोन्नति : तटरक्षक संगठन के ऐसे ज्येष्ठ अनुवादक (हिंदी) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उसी श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, दिल्ली से एक सप्ताह का उच्चस्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण/पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है।		
			टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा		

(11)

रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेत/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी

- (क)(i) जो नियमित आधार पर सङ्ग पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष नियमित सेवा की है या
(iii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष नियमित सेवा की है और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; और

- (ii) हिंदी में शब्दावली कार्य का या अंग्रेजी से हिंदी में अथवा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमानता दी जाएगी; या

हिंदी में अध्यापन, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव।

(11)

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,) नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- | | |
|---|----------|
| 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव(नौसेना), रक्षा मंत्रालय | —सदस्य |
| 3. निदेशक(कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय | —सदस्य |
| 4. निदेशक(प्रशासन), तटरक्षक मुख्यालय | —सदस्य |

(13)

प्रत्येक अवसरों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ अनुवादक (हिंदी)	7* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन-बैंड-2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
(7)			(8)		(9)
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

(10)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर
प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)

प्रोन्नति : तटरक्षक संगठन के ऐसे कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उसी श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, दिल्ली से एक सप्ताह का पुनश्चर्चा अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं।

टिप्पण 1 : इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) के पोषक प्रवर्ग पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए ज्येष्ठ अनुवादक (हिंदी) के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष ही रहेगी।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी

(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के या अंग्रेजी के साथ या दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में, दूसरे के साथ हिंदी

(11)

या अंग्रेजी को छोड़कर किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री;
और

- (ii) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. उपमहानिदेशक, तटरक्षक मुख्यालय | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक (नौसेना), रक्षा मंत्रालय | —सदस्य |
| 3. निदेशक(कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय | —सदस्य |
| 4. निदेशक(प्रशासन), तटरक्षक मुख्यालय | —सदस्य |

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी)	21* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	अधिकतम 30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर मुख्य विषय/किसी विषय के रूप में अंग्रेजी/हिंदी के साथ हिंदी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसका शिक्षा-माध्यम और परीक्षा-माध्यम हिंदी हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा मुख्य विषय के रूप में बैचलर डिग्री तथा हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है, में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष
टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारों चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।		
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है		

(7)

जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(10)

सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य पदों पर दस वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(12)

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- | | |
|---|----------|
| 1. निदेशक(प्रशासन), तटरक्षक मुख्यालय | —अध्यक्ष |
| 2. उपनिदेशक (कार्मिक) या सिविलियन स्टाफ अफसर तटरक्षक मुख्यालय | —सदस्य |
| 3. सहायक निदेशक(राजभाषा) या सहायक निदेशक(प्रशासन), तटरक्षक मुख्यालय | —सदस्य |

(13)

संव लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. सीपी/0601/हिंदी काडर/731/डी (सी जी)/2013]

सुधीर बाबू मोटाना, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st May, 2013

S.R.O. 33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast Guard Organization Group 'B' and 'C' Hindi Translation posts [Hindi Officer, Senior Translator (Hindi) and Junior Translator (Hindi)] Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Director (Official Language), Senior Translator (Hindi) and Junior Translator (Hindi) in Coast Guard Organization under the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard Organization Group 'A' and 'B' Hindi Translation posts [Assistant Director Official Language), Senior Translator (Hindi) and Junior Translator Hindi)] Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay/ pay scale.—The number of the said post, their classification and the pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Director (OL).	5* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 plus Grade Pay Rs. 5400.	Selection	Not applicable

2327 GE/13-3

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)	(11)
------	------

80% by promotion and 20% by deputation.

Promotion : Senior Translators (Hindi) of Coast Guard Organization in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600 with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis who have successfully completed the one week training of High Level Translation/ Refresher course of Translator from Central Translation Bureau, Delhi.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation : Officers under the Central Government :

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with two years regular service in posts in the Pay Band -2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent after appointment thereto on regular basis; or
- (iii) with three years regular service in posts in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay Rs. 4600 or equivalent after appointment thereto on regular basis; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience :
 - (i) Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a subject at the degree level; or

(11)

Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a subject at the degree level; or

Master's degree of a recognized University in any subject with Hindi and English as a subject at the degree level; or

Master's degree of a recognized University in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level; or

Master's degree of a recognized University in any subject in English medium and Hindi as a subject at the degree level; and

(ii) Five years' experience of terminological work in Hindi or translation work from English to Hindi or vice versa, preferably of technical or scientific literature; or

Five years experience of Teaching, Research, Writing or Journalism in Hindi..

Note 1 : The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3 : For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :

Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

- | | |
|--|-----------|
| 1. Chairman/Member, UPSC | —Chairman |
| 2. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence | —Member |
| 3. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters | —Member |
| 4. Director (Administration), Coast Guard Headquarters | —Member |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Translator (Hindi)	07* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with grade pay Rs. 4600	Selection	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable
	(10)		(11)		

Promotion failing which by deputation

Promotion :

Junior Translators (Hindi) of Coast Guard Organization in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200 with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis who have successfully completed the one week training of refresher course of Translation from Central Translation Bureau, Delhi.

Note 1 : The eligibility service for promotion to the post of Senior Translator (Hindi) shall continue to be three years for persons holding the feeder posts of Junior Translators (Hindi) on regular basis on the date of notification of these rules.

Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

Deputation: Officers of the Central Government :

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; or

(ii) with five years regular service in posts in the Pay Band -2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent after appointment thereto on regular basis; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience :—

(11)

(i) Master's degree of recognized University in Hindi/English with English/Hindi as a compulsory/elective subject or as medium of examination at degree level; or

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi/English, with Hindi/English medium and English/Hindi as a compulsory/elective subject or as medium of examination at degree level; or

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi/English, with Hindi and English as compulsory/elective subject or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/elective subject at degree level; and

(ii) Recognised Diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or two year's experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Govt. Offices, including Govt. of India undertakings.

Note 1 : The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3 : For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, (the date from which the revised pay structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

Group 'B' Departmental Promotion Committee
(for considering promotion) consisting of:—

1. Deputy Director General, Coast Guard Headquarters —Chairman
2. Director (Navy), Ministry of Defence —Member
3. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters —Member
4. Director (Administration), Coast Guard Headquarters —Member

(13)

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Junior Translator (Hindi)	21* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
<p>(i) Master's degree of a recognized University in Hindi/English, with English/Hindi as a main /any subject at the degree level; or</p> <p>Master's degree of a recognized University in any subject with Hindi as the medium of instruction and examination with English as a compulsory subject at degree level; or</p> <p>Bachelor's degree of a recognized university with Hindi and English as main subjects or either of the two as medium of examination and the other as a main subject plus recognized diploma/certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central Government or State Government offices, including Government of India Undertaking.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes if at any stage of selection the</p>	Not applicable.	Two years

(7)

Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(10)

(11)

By Direct Recruitment failing which by deputation.

Deputation :

Officers under the Central Government :

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department or;

(ii) with ten years regular service in posts in the Pay Band -1, Rs. 5200-20,200 with grade pay of Rs. 2400 or equivalent after appointment thereto on regular basis; and

(b) possessing the qualification as prescribed for direct recruitment in column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3 : For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

**Group 'B' Departmental Promotion Committee
(for confirmation) consisting of :**

- (1) Director (Administration), Coast Guard Headquarters --Chairman
- (2) Deputy Director (Personnel) or Civilian Staff Officer --Member
Coast Guard Headquarters
- (3) Assistant Director (OL) or Assistant Director --Member
(Administration), Coast Guard Headquarters

Consultation with Union Public Service
Commission not necessary.